



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62267

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2919/2026

मोहम्मद आज़म

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: जय प्रकाश पांडेय, उमेश चंद्र तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा,

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 50/2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 109, 115(2), 117(2), 352, 351(3), 324(4), 118(1) बी.एन.एस. एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना कुंवरगाँव, जिला बदायूँ में विचारण के लंबित रहने तक अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक पर सात अन्य नामित अभियुक्तों के साथ मिलकर तीन व्यक्तियों—सूचनाकर्ता खुश नसीब, साजिया और नाजिया के साथ मारपीट करने का आरोप है। साजिया और नाजिया की मेडिकल रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें आई चोट सामान्य प्रकृति की थी। घायल खुश नसीब को तीन चोटें आई, जिनमें से चोट संख्या 1 और 2 सामान्य थीं। चोट संख्या 3 को एक्स-रे के लिए भेजा गया था और एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, बाएं हाथ की उंगली की तीसरी मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर देखा गया। आवेदक को एक अस्पष्ट भूमिका सौंपी गई है। यह तर्क दिया गया है कि खुश नसीब को आई चोट संख्या 3 गंभीर प्रकृति की थी लेकिन जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी। तीनों घायलों की चोटों की प्रकृति दर्शाती है कि हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा, विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। विवेचना के दौरान, आवेदक को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7895/2025 (मोहम्मद आज़म बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट जमा होने तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया था। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को तलब किया गया है और अब किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन या स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत प्रार्थना पत्र के पैराग्राफ 14 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक को उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख के आधार पर उपरोक्त तर्कों का संतोषजनक ढंग से खंडन नहीं कर सके।
5. किए गए तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक के पूर्ववृत्त और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को एक अस्पष्ट भूमिका सौंपी गई है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ। विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। विवेचना के दौरान आवेदक को पुलिस रिपोर्ट जमा होने तक अग्रिम जमानत मिली हुई थी और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा शर्तों के उल्लंघन या स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं बताया गया है। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है और उसे संबंधित न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय में आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार है।
6. गिरफ्तारी की स्थिति में, उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक मोहम्मद आजम को विचारण के लंबित रहने तक 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - (i) आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा मामले में नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा;
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत रहे;
 - (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा किया जाएगा।
7. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय उन्हें लागू करने और विवश करने के लिए उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र है।
8. प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(माननीय विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

मनीष कुमार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"